न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 79 / 2015 / अपील

किशनसिंह उर्फ नेकीसिंह दत्तक पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी माकड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 आशा कंवर पुत्री नाथूसिंह
2 अणदकंवर उर्फ अतर कंवर पत्नी नाथूसिंह
  समस्त जाति राजपूत निवासीगण माकड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
3 ग्राम पंचायत माकड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 622 दिनांक 05.09.1998 द्वारा नायब तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलांट श्री शिवकुमार शर्मा
वकील रेस्पोडेंट श्री दिनेश सैनी

निर्णय   दिनांकः—31.10.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 नाथूसिंह एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के दाम्पत्य जीवन में कोई पुत्र सन्तान न होने के कारण दोनो ने अपीलान्ट को दिनांक 13.09.1979 को अपीलान्ट के प्राकृतिक माता पिता को हस्ब कायदा हिन्दू रिति रिवाज गोद लेकर गोद की रस्म की गई थी, एवं गोद की बाबत लिखापडी भी कर ली गई थी। तब से अपीलान्ट स्व0 नाथूसिंह एवं रेस्पोडेन्टस नं. 2 के पुत्र के रूप में जाना एवं पहचाना जाता है। अपीलान्ट के गोद ग्रहिता पिता का देहान्त होने के समय अपीलान्ट ने पुत्र की हैसियत से सभी क्रियाकर्म किये, एवं अपीलान्ट के ही पगड़ी का दस्तूर किया गया एवं इस गोद के बाबत दस्तावेज पंजीकृत नही किया गया था। स्व0 नाथूसिंह का देहान्त होने पर नाथूसिंह के नाम राजस्व अभिलेख के अनुसार राजस्व ग्राम मांकड़ी में स्थित भूमि ख.नं. 529 / 1089 रकबा 0.39 हैक्टेयर, ख.नं. 530 रकबा 0.54 हैक्टेयर, ख.नं. 584 रकबा 0.52 हैक्टेयर, ख.नं. 772 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर की बाबत नामान्तरकण संख्या 622 दिनांक 04.09.1998 को पटवारी हल्का द्वारा बिना वारिसान की जानकारी किये भरा जाकर नायब तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा दिनांक 05.04.1998 को स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट के गोद ग्रहिता पिता नाथूसिंह एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की जानकारी में समाज बिरादरी एवं परिवारजनो के समक्ष दिनांक 13.09.1979 को गोद लिया गया था। गोद की सभी रस्मों का निर्वहन किया गया था एवं अपीलान्ट गोद पुत्र के रूप मे जाना पहचाना जाता रहा है। उसको स्व0 नाथूसिंह की विरासत के बाबत उसके सजरे में नाम अंकित किये बिना विवादित नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा भरकर अधिनस्थ नायब तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। नामान्तरकरण में

Web Copy Not Official

दर्ज सजरे में अपीलान्ट की माता एवं बहिन को ही सजरे में दर्ज किया गया है। जो कानून अवैध है। स्व0 नाथूसिंह का सजरा निम्न प्रकार से है:–

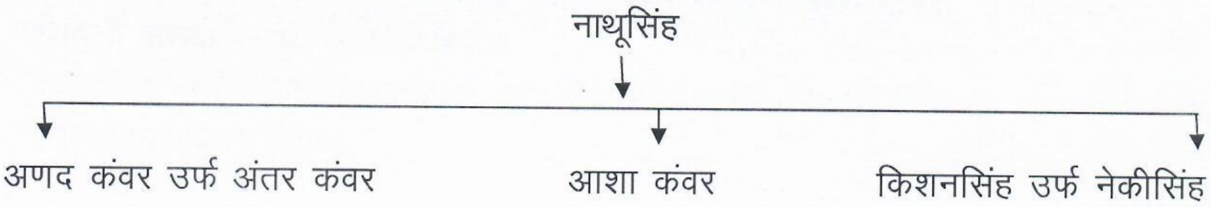

योग्य अधीनस्थ नायब तहसीलदार नीमकाथाना ने विवादित आदेश पारित करने से पूर्व ना तो मृतक स्व0 नाथूसिंह के वारिसान की जांच की, ना ही कब्जे काश्त की जांच की, ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट का आज भी स्व0 नाथूसिंह के नाम दर्ज उपरोक्त भूमियो पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस बाबत अधीनस्थ नायब तहसीलदार नीमकाथाना ने काई जानकारी नही की एवं न ही कोई जांच की गई। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार मृतक की विरासत के अनुसार समानता का अधिकार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 05.04.1998 को निरस्त फरमाया जाकर स्व0 नाथूसिंह के वैध वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 के नाम विधिवत रूप से नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार नाथूसिंह फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामांतकरण खातेदार नाथूसिंह पुत्र गुलाबसिंह हि0 1/3 के स्थान पर आशा कंवर पुत्री नाथूसिंह मु0अणद कंवर बेवा नाथूसिंह हि0 1/3 के नाम तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के सलंग्न नामांतकरण संख्या 622 की प्रमाणित प्रति एवं लिखावट गोदनामा की फोटो प्रति पेश की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध लिखावट गोदनामा की केवल मात्र फोटो प्रति पेश की गई है जो प्रमाणित नहीं है एवं अधिवक्ता अपीलांट द्वारा भी उस फोटो प्रति को स्वयं के द्वारा प्रमाणित तक नहीं किया गया है। अपीलाधीन नामांतकरण में अपीलांट के हित–निहित बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः गोदग्रहण सम्बंधी विधिक मान्यता प्राप्त दस्तावेजात के अभाव में अपीलांट को मृतक खातेदार का दत्तक पुत्र अंगीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। दत्तक ग्रहण सम्बंधी विवाद का अन्तिम निस्तारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/19
(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official